(1500)

FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

रामलाल — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ, जिला– बून्दी (राज.) — अशोक कुमार

मुकदमा 121/वाद/22 बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.7.22	वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act द्वारा वकील श्री भारत भूषण गौतम पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 18.8.22 को पेश हो।	
18.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.12.22 को पेश हो।	
6.12.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 22.2.23 को पेश हो।	
22.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते सायिक कार्यवाही दिनांक 20.6.23 को पेश हो।	
26-5-23	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो किये जाने वाद के साथ पत्रावली आज पेश हुई। वादी रामलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सुलह [illegible] इस वाद को विड्रो करवाना चा[illegible] वादी द्वारा वाद विड्रो कि[illegible] बाद मे अन्य कोई कार्यवाही [illegible] वाद पत्र खारिज किया जाता है। नि[illegible] खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, एवं उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.04 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested